बंदियों के कानूनी अधिकार

❖ **क्या जेल में बंद रहने वाले व्यक्ति के कुछ अधिकार हैं ?**

जेल में बंद व्यक्ति के अधिकार सीमित कर दिए जाते हैं जैसे आजादी से घूमने का अधिकार, अपने मन का काम करने का अधिकार इत्यादि। फिर भी अपनी इच्छा से मित्रों व रिश्तेदारों से मिलने का अधिकार और उसके जिन्दा रहने व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को बने रहने दिया जाता है। इसका अर्थ है कि जेल में बंद व्यक्ति से दुर्व्यवहार नहीं किया जा सकता, न ही उसे चोट पहुँचाई जा सकी है। उसे पर्याप्त भोजन, कपड़े, इलाज व मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं किया जा सकता। पढ़ना-लिखना, गाना, योग करना, ध्यान लगाना उसके अधिकारों में शामिल है। उसे मुफ्त कानूनी सहायता लेने का भी अधिकार है।

❖ **मुफ्त कानूनी सहायता क्या है ?**

जेल में बंदियों का यह संवैधानिक अधिकार है कि उनके मुकदमों के लिए उन्हें मुफ्त वकील प्रदान किया जाए व उनका केस प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाए। इस कार्य के लिए उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति नैनीताल व समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के द्वारा मुफ्त वकील प्रदान किया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना 20.3.2002 को हुई थी। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इस प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक और नैनीताल उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यपालक अध्यक्ष हैं।

❖ **उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल बंदियों को जेल में कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं ?**

जेल बंदियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जेल परिसर में कानूनी सहायता एवं परामर्श केन्द्र खोले हैं ताकि जेल बंदियों को आसानी से न्याय मिल सके। इसके लिए प्राधिकरण के द्वारा वकीलों का एक पैनल बनाया गया है जो उनके लिए निश्चित किए गए दिवसों में सभी जेलों में जाते हैं। इसके अलावा समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है ताकि उन्हें उनके अधिकारों

की जानकारी दी जा सके।

❖ **क्या सभी बंदियों को मुफ्त वकील की सुविधा उपलब्ध है ?**

हाँ, सभी बंदियों को मुफ्त वकील की सुविधा उपलब्ध है। मुफ्त वकील मिलना बंदियों का संवैधानिक अधिकार है।

❖ **बंदी के लिए वकील की नियुक्ति किस प्रकार हो सकती है ?**

बंदी के लिए वकील की नियुक्ति उसी विधिक सेवा प्राधिकरण से हो जाती है जहाँ उसका केस चल रहा हो। बंदी भी जज साहब से वकील की नियुक्ति के लिए मौखिक व लिखित निवेदन कर सकता है।

❖ **यह वकील किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं ?**

वकील जेल बंदियों के लिए अर्जी लिखने के साथ-साथ उनके लिए याचिका तैयार करते हैं यदि आवश्यकता है तो उनके लिए जमानत, पैराल, अपील आदि का प्रार्थना पत्र तैयार करते हैं और न्यायालय में उनके केस की पैरवी करते हैं। इन सेवाओं के लिए अलग-अलग वकीलों का चयन किया गया है। बंदी स्वयं अथवा जेल अधीक्षक के द्वारा जिला प्राधिकरण को आवेदन भेज सकते हैं।

❖ **मुफ्त कानूनी सहायता कौन सी कोर्ट के लिए उपलब्ध है ?**

मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधा मजिस्ट्रेट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी न्यायालयों के लिए उपलब्ध है।

❖ **उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण किस प्रक्रिया से कानूनी सहायता पहुँचाते हैं?**

प्राधिकरण के वकीलों की नियुक्ति दो जगह की गई है।

1. न्यायालय

2. जेल

न्यायालय के हर जनपद की कोर्ट के लिए प्राधिकरण द्वारा वकील की नियुक्ति की गई है। जो रिमाण्ड स्तर पर भी उपलब्ध होते हैं। अगर बंदी के पास वकील नहीं है तो वो कोर्ट से वकील की नियुक्ति के लिए निवेदन कर सकता है।

हर जेल परिसर के लिए भी प्राधिकरण ने प्रत्येक जनपद के लिए दो वकील की नियुक्ति की है। अगर बंदी के पास अपना निजी वकील नहीं है तो वह

प्राधिकरण के वकील से जेल में संपर्क कर अपने केस पर विचार विमर्श व आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और न्यायालय में पेश करने के लिए अर्जी भी बनवा सकते हैं। मैजिस्ट्रेट की अदालतों हेतु वकीलों की नियुक्ति की गई है जो कि संबंधित न्यायालय में पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को पेश किए जाने पर उसे मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

❖ क्या हर न्यायालय में प्राधिकरण के पैनल मौजूद हैं ?

प्रत्येक जिला प्राधिकरण के पास वकीलों का बड़ा पैनल है। केस में वकील की नियुक्ति करके जिला प्राधिकरण उसका पूरा ब्यौरा अपने पास रखते हैं। पैनल के वकील जिला प्राधिकरण में हर तारीख का ब्यौरा देना होता है इससे केस में हुई हर कार्यवाही का ब्यौरा रहता है और यह सुनिश्चित रहता है कि केस सुचारू रूप से चल रहा है।

राज्य प्राधिकरण द्वारा अपचारी किशोरों के मामलों की पैरवी के लिए उनके हित की देख-रेख के लिए सभी जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के समक्ष पैरवी के लिए पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति की गयी है।

❖ जमानती और गैर जमानती अपराध क्या होते हैं ?

जमानती अपराध वह है जिनमें साधारणत: सजा दो वर्ष या उससे कम है। जमानती अपराधों में जमानत अभियुक्त का अधिकार है। गैर जमानती अपराध में जमानत अधिकार के तौर पर नहीं ली जा सकती। परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसी अभियुक्त को पर्याप्त कारणों के बिना जमानत से वंचित न किया जाए। गैर जमानती अपराधों में जमानत न्यायालय द्वारा दी जाती है। गैर जमानती अपराधों की अलग-अलग श्रेणियां है तथा कानून में विभिन्न न्यायालयों के अधिकार और उनकी सीमा का प्रावधान है।

❖ अगर बंदी को जमानती केस में जेल में भेजा हो तो वो किस तरह से जमानत ले सकता है ?

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के अंतर्गत यदि :-

1. बंदी किसी जमानतीय अपराध के अभियुक्त / आरोपी हैं।
2. बंदी को जमानत दी गई है परन्तु वह प्रतिभू (सिक्योरिटी) नहीं दे सकता।

3. अपनी गिरफ्तारी की तारीख से 7 दिनों तक वो हिरासत में है।

यदि बंदी जमानत देने में सक्षम नहीं है तो बंदी को बिना प्रतिभू (सिक्योरिटी) के जमानत/व्यक्तिगत बंध पत्र पर 7 दिन पश्चात अवश्य रिहा कर दिया जाना चाहिए।

❖ **चार्ज शीट (चालान) कितने दिनों में कोर्ट में दाखिल होनी चाहिए ?**

यदि अपराध मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डनीय है तब विवेचनापूर्ण होकर 90 दिन में चार्जशीट (चालान) दाखिल करना होता है। बाकी मामलों में समय सीमा 60 दिन है। अन्यथा बंदी जमानत पर छूटने का अधिकारी है।

❖ **समय पर चालान दाखिल न करने की स्थिति में क्या बंदी को जमानत मिल सकती है ?**

अगर पुलिस चालान समय पर दाखिल न करे तो जमानत बंदी का कानूनी अधिकार है।

❖ **क्या कोई ऐसा रास्ता है कि बंदी को कम सजा मिल सके ?**

जी हाँ, प्ली बार्गेनिंग ऐसा जरिया है जिससे सजा कम हो सकती है।

❖ **प्ली बार्गेनिंग (कम सजा के लिए समझौता) क्या है ?**

यदि कोई अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार करता है और उसकी सजा 7 वर्ष से अधिक नहीं है तो वह प्ली बार्गेनिंग का उपयोग कर सकता है। प्ली बार्गेनिंग समझौते का एक तरीका है जिसके अंतर्गत अभियुक्त कम सजा के बदले में अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान और मुकदमें के दौरान हुए खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है।

❖ **प्ली बार्गेनिंग की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?**

प्ली बार्गेनिंग केवल उन अपराधों पर लागू होता है जिनके लिए कानून में 7 वर्ष से अधिक कैद की सजा का प्रावधान नहीं है राष्ट्र की सामाजिक - आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने वाले अपराधों पर और किसी महिला और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरूद्ध किए गए अपराधों पर यह लागू नहीं होता। अभियुक्त न्यायालय में एक आवेदन अपने शपथ पत्र (Affidavit) के साथ लगा इसका लाभ उठा सकता है।

❖ **प्ली बार्गेनिंग के क्या लाभ हैं ?**

यह प्रक्रिया जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की सहायता करती है जो कि लंबे समय से जेलों में बंद हैं। यह प्रक्रिया उनके लिए वरदान है और उनके लिए भी जो दूसरे राज्यों/देशों से आये होते हैं। इससे अभियुक्त को सजा के कठोर दंड से बचने का अवसर मिलता है और जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

❖ **क्या बंदी को परख (प्रोबेशन) पर भी छोड़ा जा सकता है ?**

भारतीय दंड संहिता की धारा 360 व अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3-4 में प्रावधान है कि पहली बार के अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है।

❖ **क्या सजा के दौरान बंदी जेल से बाहर आ सकते हैं ?**

पैरोल द्वारा जेल से सजा के दौरान बाहर आया जा सकता है।

❖ **पैरोल क्या है ?**

पैरोल एक ऐसी अवधि है जिसमें सजा काट रहे अपराधी को जेल से बाहर जाने की अनुमति मिलती है। यह दो प्रकार की होती है- कस्टडी पैरोल और नियमित पैरोल।

❖ **किन परिस्थितियों में कस्टडी पैरोल प्रदान किया जा सकता है ?**

1. परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर।
2. परिवार के किसी सदस्य के विवाह के अवसर पर।
3. परिवार के किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने पर।
4. किसी भी प्रकार की आपालकालीन स्थिति में।

❖ **नियमित पैरोल की अनुमति पाने के लिए सरकार के समक्ष क्या हिदायते हैं ?**

1. परिवार के किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने पर।
2. परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना से गंभीर स्थिति अथवा मृत्यु होने पर।
3. बंदी के परिवार के किसी सदस्य के विवाह के अवसर पर।

4. बंदी की पत्नी के द्वारा शिशु जन्म के अवसर पर। यदि उसके परिवार में उसकी पत्नी की देखभाल के लिए परिवार का कोई सदस्य न हो।

5. बंदी के परिवार की सम्पति अथवा जीवन का गम्भीर रूप से नुकसान होने पर, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाला नुकसान भी सम्मिलित है।

6. पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को बनाए रखने के लिए।

7. उच्च न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध करने अथवा दोष सिद्धि को बनाए रखने के लिए दिए गए।

8. निर्णय के विरूद्ध भारत के सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दायर करने के लिए।

❖ **बंदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए क्या मापदंड है ?**

बंदी कम से कम एक वर्ष के लिए जेल में रहा हो जिसमें क्षमा की अवधि सम्मिलित नहीं है। जेल में उसका आचरण अवश्य ही अच्छा होना चाहिए।

पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र दायर करने के लिए क्या प्रक्रिया है ?

पैरोल के लिए प्रार्थना पत्र बंदी अथवा उसके रिश्तेदार के द्वारा जेल अधीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है।

पैरोल के प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने के समय सीमा क्या है ?

पैरोल मांगने के प्रार्थना पत्र पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

❖ **किन परिस्थितियों में बंदी पैरोल पर जाने के लिए योग्य नहीं है ?**

1. बंदी ऐसा व्यक्ति न हो जिसकी उपस्थिति सामाजिक शांति के लिए खतरा हो अथवा कोई ऐसा उचित कारण जैसे कि किसी गम्भीर अपराध में सम्मिलित न हो और उस मुकदमें की जाँच पड़ताल लंबित न हो।

2. वह बंदी जो कि राज्य के विरूद्ध अपराध जैसे राजद्रोह अथवा जेल के अनुशासन का उल्लंघन करने के लिए उकसाने में दोषी पाया गया हो।

3. बंदी जो जेल से भाग गया हो।

4. बंदी जो भारत का नागरिक न हो।

5. बंदी डकैती, अपहरण, दुर्भावना, बलात्कार, लूट-खसोट, आगजनी आदि

अपराधों में संलिप्त न हो।

6. वह बंदी जो कि राज्य के विरूद्ध अपराध जैसे राजद्रोह आदि में दोष न पाया गया हो।

❖ **क्या पैरोल की अवधि की गणना जेल में भोगी गई सजा में की जाएगी?**

पैरोल की अवधि की गणना जेल में भोगी गई सजा में की जाएगी यदि बंदी ने इस अवधि के दौरान कोई अपराध न किया हो।

❖ **क्या पैरोल की अवधि से अधिक बाहर रहने के क्या परिणाम होंगे ?**

1. पैरोल की अवधि से अधिक बाहर रहने से बंदी के द्वारा अर्जित की गई सभी क्षमा की अवधि से वंचित हो जाएगा।

2. पैरोल की अवधि से अधिक बाहर रहने से बंदी को चेतावनी दी जा सकती है और उसके पत्र अथवा साक्षात्कार को 6 मास के लिए रोका जा सकता है। बंदी 5 दिनों की क्षमा की अवधि को खो सकता है अथवा उसकी पैरोल की अवधि की गणना उसकी सजा की अवधि में नहीं की जाएगी।

किसी भी जानकारी के लिए लिखें या संपर्क करें

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के सचिव (निबंधक, उच्च न्यायालय), सभी जनपदों के दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्षों (जिला जजों अथवा सचिव तथा उत्तराखण्ड की समस्त तहसीलों में कार्यरत तहसील विधिक सेवा समितियों के सचिवों (तहसीलदार) से या उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

उच्च न्यायालय परिसर,

नैनीताल

2010

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा ..... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -